



सत्यमेव जयते

foùk ys[ks

[k.M & I

2013-2014



e/; i ns' k l j dkj

# वित्त लेखे

([k.M & I])

2013—14

मध्यप्रदेश सरकार

fo"k;	i"B
	[k.M&I
■ विषय सूची	i-ii
■ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	iii-iv
■ वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	vi-xii
1. वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक	1-2
2. प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण पत्रक	3-7
3. प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)	8-11
4. व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)	12-17
○ कार्य और प्रकृति के अनुसार	
■ लेखों पर टिप्पणियां	18-31
■ परिशिष्ट-I :	25-31
(क) आवधिक/अन्य समायोजनों का विवरण पत्रक	25-26
(ख) पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत "संधारण" के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण पत्रक	27
(ग) पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत "सहायता अनुदान" के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण पत्रक	28
(घ) लघु शीर्ष 800 - अन्य प्राप्तियाँ के अन्तर्गत दर्ज मुख्यशीर्षवार प्राप्तियों का विवरण पत्रक	29
(ङ) लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय के अन्तर्गत दर्ज मुख्यशीर्षवार व्यय का विवरण पत्रक	30
(च) मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत शेषों की स्थिति	31

## [k.M&amp;II

Hkkx&amp;I% I f{kIr fooj.k i=d

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक	33-38
6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण पत्रक	39-42
7. सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विवरण पत्रक	43-44
8. सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदान का विवरण पत्रक	45
9. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक	46-50
10. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक	51

## fo"k; &amp;l ph &amp; l eklr

fo"k;

i "B

## Hkkx&amp;II % foLr'r foofj.k i=d

11.	राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक	53-93
12.	राजस्व व्यय का लघुशीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक	94-138
13.	पूंजीगत व्यय का लघुशीर्षवार एवं उपशीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक	139-274
14.	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक	275-306
15.	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक	307-319
16.	सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक	320-348
17.	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोगों का विस्तृत विवरण पत्रक	349-353
18.	आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण पत्रक	354-364
19.	उद्दिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक	365-367

## Hkkx&amp;III % i f'f' k"V

II.	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	369-377
III.	राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय	378-380
IV.	सहायता-अनुदान (योजनावार और संस्थावार)	381-391
V.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे	392-397
VI-V.	आयोजनागत योजना व्यय	398-403
VI-C.	राज्य आयोजनागत योजनाएं	404
VII.	राज्य में केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन संस्थाओं को प्रत्यक्ष अंतरण	405-406
VIII.	शेषों का सारांश	407-409
IX.	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम	410
X.	दिनांक 31 मार्च 2014 को अपूर्ण लोक निर्माण कार्य संविदाओं की वचनबद्धता का विवरण पत्रक	411
XI.	राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण पत्रक	412-423
XII.	आगामी नगद प्रवाह के लिये वर्ष के दौरान बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं पर लागू मुख्य नीतिगत निर्णयों का विवरण पत्रक	424-425
XIII.	राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप निराकृत न होने वाले शेषों के आवंटन से संबंधित मदों का विवरण पत्रक	426-427

## भारत के वित्त लेखों का वार्षिक विवरण, 2014

इस संकलन में 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इन लेखाओं को दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है खण्ड-I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खण्ड-II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।


वित्त लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाऊचरों, चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणों (संख्या 7, 9, 14 एवं 16), और परिशिष्ट (V, IX एवं X) को मध्यप्रदेश सरकार/निगमों/कम्पनियों/सोसाइटियों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ-साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अर्थार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं के लिए टिप्पणियों' के साथ पठित वित्त लेखे 2013-14 वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली मध्यप्रदेश सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।



१/११/११

Hkkj r ds fu; a=d&egkys[ kki j h{kd

fnukd % 10-11-2014  
LFkku % ubZ fnYyh



#### d- l jdkjh ys[ks dh l jpk dk folr' fogxkoyksdu

1. मध्यप्रदेश राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखाओं के साथ ही राजस्व और पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों तथा लेखाओं में दर्ज शेषों से परिकलित राज्य सरकार के लोक ऋण और दायित्व तथा परिसंपत्तियों के लेखाओं को प्रदर्शित करते हैं।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :

**Hkx&I % l efd r fuf/k :** इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण (बाजार ऋण, बंध पत्र, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए प्राप्त किया गया धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियुक्त नहीं किया जायेगा। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे – संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

समेकित निधि में दो अनुभाग होते हैं: राजस्व तथा पूंजीगत (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम सहित)। ये अनुभाग आगे "प्राप्तियाँ" तथा "व्यय" के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध होते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग तीन क्षेत्रों (सेक्टर) में विभाजित होता है, यथा, "कर राजस्व", "करेतर राजस्व" एवं "सहायता अनुदान तथा अंशदान"। ये तीन क्षेत्र (सेक्टर) आगे उपक्षेत्रों (सब सेक्टर) में विभाजित होते हैं जैसे – "आय एवं व्यय पर कर", "राजकोषीय सेवाएँ" आदि। पूंजीगत प्राप्तियाँ अनुभाग के अन्तर्गत क्षेत्र, उपक्षेत्र (सेक्टर, सब सेक्टर) नहीं होते हैं। राजस्व व्यय अनुभाग चार क्षेत्रों (सेक्टर) में विभाजित होता है, यथा, "सामान्य सेवाएँ", "सामाजिक सेवाएँ", "आर्थिक सेवाएँ" और "सहायता अनुदान तथा अंशदान"। राजस्व व्यय अनुभाग के ये क्षेत्र (सेक्टर) आगे उपक्षेत्रों (सब सेक्टर) में विभाजित होते हैं जैसे – "राज्य के अंग" "शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति" आदि। पूंजीगत व्यय अनुभाग सात उपक्षेत्रों (सब सेक्टर) में उप-विभाजित होता है। यथा – "सामान्य सेवाएँ", "सामाजिक सेवाएँ", "आर्थिक सेवाएँ", "लोक ऋण", "ऋण एवं अग्रिम", "अंतर राज्य परिशोधन" तथा "आकस्मिकता निधि को अन्तरण"।


**Hkx&II % vkdfLedrk fuf/k :** यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे राज्य विधायिका द्वारा विधि द्वारा स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा प्राधिकृत किए जाने तथा अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। उक्त निधि की प्रतिपूर्ति, व्यय को राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्यशीर्ष को नामे कर की जाती है। वर्ष 2013-14 के लिए मध्यप्रदेश सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 200 करोड़ है।





6. लेखे की संरचना का चित्र प्रदर्शन नीचे किया गया है :

d-1-1 I jdkjh ys[ks dh I jpkuk dk fp= i n'ku



[k- foUk ys[ks ea D; k fufgr gS

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

खण्ड-1 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे की मार्गदर्शिका, चार विवरण पत्रक जो राज्य सरकार की चालू वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति एवं लेन-देनों की संक्षिप्त जानकारी दर्शाते हैं, लेखों पर टिप्पणियाँ और लेखों पर टिप्पणियों का एक परिशिष्ट सम्मिलित है। खण्ड-1 के चार विवरण पत्रकों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

1- foUkh; fLFkr dk fooj.k i =d % यह विवरण पत्रक राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों और दायित्वों के संचयी आंकड़े जो वर्षान्त में तथा पूर्व वर्ष के अंत की स्थिति की तुलना में है, दर्शाता है।

- 2- i kflr; ka rFkk I forj .kka dk fooj.k i =d % यह विवरण पत्रक राज्य सरकार की वर्ष के दौरान तीन भागों जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं यथा – समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत समस्त प्राप्तियाँ और संवितरण दर्शाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) का वैकल्पिक चित्रण दर्शाने वाला इसका एक अनुलग्नक है। अनुलग्नक सरकार की अर्थोपाय की विस्तृत स्थिति भी दर्शाता है।
- 3- i kflr; ka dk fooj.k i =d % efd r fuf/k½ % इस विवरण पत्रक में राज्य सरकार की राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश, उधार एवं ऋण तथा अग्रिमों की वसूली सहित) शामिल होता है। यह विवरण पत्रक वित्त लेखे के खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 11, 15 एवं 16 के समरूप होता है।
- 4- 0; ; dk fooj.k i =d % efd r fuf/k½ % वित्त लेखे के लघुशीर्ष स्तर तक के सामान्य प्रदर्शन से पृथक यह विवरण पत्रक व्यय का, गतिविधियों (व्यय का उद्देश्य) की प्रकृति अनुसार विस्तृत विवरण भी दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 12, 13 एवं 16 के समरूप है।

वित्त लेखे के खण्ड-II में तीन भाग – भाग-I में में छः संक्षिप्त विवरण पत्रक, भाग-II में नौ विस्तृत विवरण पत्रक एवं भाग-III में तेरह परिशिष्ट हैं।

#### [k.M II dk Hkkx I

- 5- i xkeh i wthx r 0; ; dk fooj.k i =d % यह विवरण पत्रक भाग-II के विस्तृत विवरण पत्रक 13 के अनुरूप है।
- 6- m/kkj , oa vU; nkf; Roka dk fooj.k i =d % राज्य द्वारा उधार लेने में, उसके द्वारा उगाहे गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य दायित्वों में “अल्प बचतें”, “भविष्य निधि आदि”, “आरक्षित निधियां” तथा “जमा” शामिल हैं। विवरण पत्रक में ऋण सेवा पर टिप्पणी भी होती है तथा यह भाग-II के विस्तृत विवरण पत्रक 15 के समरूप होता है।
- 7- I jdkj }kjk fn, x, \_\_.k vkj vfxæka dk fooj.k i =d % यह विवरण पत्रक राज्य सरकार द्वारा ऋणियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे – सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकारियों तथा वैयक्तिक प्राप्तिकर्ता (शासकीय सेवकों सहित) को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण पत्रक भाग-II के विस्तृत विवरण पत्रक 16 के समरूप होता है।
- 8- I jdkj }kjk fn, x, I gk; rk vuŋku dk fooj.k i =d % यह विवरण पत्रक राज्य सरकार द्वारा अनुदान ग्रहीता की विभिन्न श्रेणियों जैसे – सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकारियों तथा व्यक्ति को दिए गए सहायता अनुदान को दर्शाता है। परिशिष्ट-IV प्राप्तिकर्ता संस्थाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
- 9- I jdkj }kjk nh xbz i R; kHkŋr; ka dk fooj.k i =d % यह विवरण पत्रक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों के मूल के पुनर्भुगतान एवं ऋणों पर ब्याज पर दी गयी प्रत्याभूतियों का सारांशीकरण है।

10- nÙker , oa i Hkkfjr 0; ; dk foj.k i=d % यह विवरण पत्रक वित्त लेखे में दर्शित हो रहे निवल आंकड़ों एवं विनियोग लेखों में दर्शित हो रही सकल आंकड़ों के मध्य मिलान में सहायता प्रदान करता है।

[k.M II Hkkx II

11- jktLo , oa i mthxr i kflr; ka dk y?kq kh"kbkj foLr'r foj.k i=d % यह विवरण पत्रक वित्त लेखे के खण्ड-1 के संक्षिप्त विवरण पत्रक-3 के समरूप होता है।

12- jktLo 0; ; dk y?kq kh"kbkj foLr'r foj.k i=d % यह विवरण पत्रक जो खण्ड-1 के संक्षिप्त विवरण पत्रक-4 के समरूप है, राज्य सरकार का राजस्व व्यय आयोजना (राज्य आयोजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना) तथा योजनेत्तर के अन्तर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय पृथक दर्शाया जाता है।

13- i mthxr 0; ; dk y?kq kh"kl , oa mi 'kh"kbkj foLr'r foj.k i=d % यह विवरण पत्रक जो इस खण्ड के भाग-1 के संक्षिप्त विवरण पत्रक 5 के समरूप है, राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय, आयोजना (राज्य आयोजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना, केन्द्रीय आयोजना योजना) तथा योजनेत्तर के अन्तर्गत दर्शाता है। प्रभारित तथा दत्तमत व्यय पृथक-पृथक दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट योजनाओं के संबंध में लघुशीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण दर्शाने के लिए, यह विवरण पत्रक उपशीर्ष स्तर पर भी विस्तृत विवरण दर्शाता है।

14- l jdkj ds fuo'kka dk foLr'r foj.k i=d % यह विवरण पत्रक सांविधिक निकायों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की साधारण पूंजी में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाता है।

15- m/kkj rFkk vU; nkf; Roka dk foLr'r foj.k i=d % यह विवरण पत्रक जो इस खण्ड के भाग-1 के संक्षिप्त विवरण-6 के अनुरूप है जिसमें राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये सभी ऋणों के ब्यौरे (बाजार ऋण, ऋण पत्र, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम शामिल है। यह विवरण तीन श्रेणियों के अंतर्गत सूचना प्रस्तुत करता है - (क) व्यक्तिगत ऋण के ब्यौरे (ख) परिपक्वता स्थिति जैसे विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी से संबंधित भुगतान योग्य राशि तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर स्थिति।

16- l jdkj }kjk fn, x, \_\_.k vkj vfxeka dk foLr'r foj.k i=d % यह विवरण पत्रक इस खण्ड के भाग-1 के संक्षिप्त विवरण-7 के अनुरूप है।

17- jktLo ys[ks ds vfrfjDr 0; ; ds fy, fuf/k; ka ds L=krka vkj vuq z kxka dk foLr'r foj.k i=d % यह विवरण पत्रक राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय को अदा करने के सिद्धान्त पर आधारित है, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य से, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के प्रारंभ में नकद शेष तथा उधार से पूरा किया जाता है।

- 18- vkdfLedrk fuf/k vkj vl; ykd ys[kk yu&nuka dk foLr'r fooj.k i=d % यह विवरण पत्रक आकस्मिकता निधि के अंतर्गत लघुशीर्ष स्तर पर अनापूरित राशि के ब्यौरे, वर्ष के दौरान लोक लेखा की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों की स्थिति दर्शाता है।
- 19- mfI"V fuf/k; ka ds fuo'sk dk foLr'r fooj.k i=d % यह विवरण पत्रक आरक्षित निधियों और जमाओं (लोक लेखा) से किये गये निवेश के ब्यौरे को दर्शाता है।

### [k. M II ds Hkkx III

भाग III में वेतन, राज सहायता, सहायक अनुदान बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, बृहद् केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं से संबंधित योजनावार व्यय से संबंधित मदों के बारह परिशिष्ट शामिल हैं। यह ब्यौरे उपशीर्ष स्तर या उससे नीचे के लेखाओं जिन्हें सामान्यतया वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता है, को प्रस्तुत करते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड-I या II की अनुक्रमणिका में दिखाई गई है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरण राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं।

### x- Rofjr x.kuk i=d

नीचे दी गई सारणी खण्ड-I के अंतर्गत वर्णित संक्षिप्त विवरणों का संबंध खण्ड-II के विस्तृत विवरणों एवं परिशिष्टों से दर्शाती है (ऐसे परिशिष्ट जिनका संक्षिप्त विवरणों से सीधा संबंध नहीं है, को यहां नहीं दिखाया गया है)।

ekin.M	I f{klr fooj.k ¼[k. M&I , o&II½	foLr'r fooj.k [k. M&II	i f'k'V
राजस्व प्राप्ति (प्राप्त अनुदानों सहित)	2, 3	11	—
राजस्व व्यय	2, 4	12	II (वेतन), III (राज सहायता)
सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान	2	8	IV
पूँजीगत प्राप्तियां	2, 3	11	—
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5	13, 17	—
सरकार द्वारा दिए गये ऋण और अग्रिम	1, 2, 7	16, 17	—
ऋण स्थिति/उधार	1, 2, 6	15, 17	—
निगमों, कम्पनियों आदि में सरकारी निवेश	1	14	—
रोकड़	1, 2	—	I, VIII
लोक लेखे में शेष तथा उनके निवेश	1, 2	17, 18, 19	VIII
प्रत्याभूति	—	9	—
योजनाएं	—	—	V (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं), VI, VII

कुछ लेन-देन जो लेखा में प्रकट होते हैं, इन्द्राज के समय नगद के वास्तविक प्रचालन से अन्तर्ग्रस्त नहीं होते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन उन लेखाओं को रखने वाली इकाइयों के स्तर पर किये जाते हैं (जैसे – कोषालय, संभाग इत्यादि)। उदाहरण के लिये राजस्व/ऋण/लोक लेखा प्राप्तियों के पुस्तकीय समायोजन द्वारा वेतन से किये जाने वाले ऐसे लेन-देन जिनमें कटौतों से संबंधित समायोजन (सामान्य भविष्य निधि, दिये गये अग्रिम की वसूली आदि) कार्यात्मक मुख्यशीर्ष को नामे (संबंधित विभागों से सम्बद्ध है) कर अभिलिखित किये जाते हैं। इसी तरह निरंक राशि वाले देयक जहां धनराशि समेकित निधि और लोक लेखा के बीच अंतरित होती है लेखाओं को रखने वाली इकाइयों के स्तर पर रोकड़ रहित लेन-देनों को दर्शाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार के लेखाओं में निम्न प्रकृति के आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन करते हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-I (खण्ड-I) एवं संबंधित विवरण पत्रकों की पाद टिप्पणी में वर्णित होता है।

आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन के उदाहरण नीचे दिये गये हैं :-

- (1) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा में निधियों के अंशदान का समायोजन/निधियों का सृजन जैसे – राज्य आपदा विमोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, निक्षेप निधियां इत्यादि।
- (2) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा में निक्षेप शीर्ष को जमा करना।
- (3) सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज को मुख्यशीर्ष 2049-ब्याज को नामे कर तथा मुख्यशीर्ष 8009-सामान्य भविष्य निधि को जमा कर सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज एवं राज्य कर्मचारी समूह बीमा योजना का वार्षिक समायोजन।
- (4) केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार की योजना के अंतर्गत ऋण अधित्यजन का समायोजन किया जाना। ये समायोजन (अपलिखित किए गए केन्द्रीय ऋणों को मुख्यशीर्ष 0075-विविध सामान्य सेवाएं को जमा कर एवं मुख्यशीर्ष 6004-केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम को विपरीत प्रविष्टि कर) दोनों राजस्व प्राप्तियों और लोक ऋण पर असर डालते हैं।

1% foUkh; fLFkfr dk fooj.k i=d

(₹ करोड़ में)

i fjl Ei fUk; k; % <sup>1/2</sup>	l nHkz (l jy Øekd)		31 ekpl 2014 dks	31 ekpl 2013 dks
	ys[kka ij fVli f.k; k;	fooj.k l d; k		
jkM+				
(i) खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--	परिशिष्ट-I	निरंक	निरंक
(ii) विभागीय शेष	--	18	2.57	1,32.24
(iii) स्थाई अग्रदाय	--	18	0.83	0.81
(iv) नकद शेष निवेश	--	18	38,99.14	68,06.45
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (यदि शेष जमा हो तो ऋणात्मक चिह्न के साथ यहाँ शामिल हो)	--	परिशिष्ट-I	1,73.22 <sup>(ख)</sup>	(-) 2,62.75
(vi) उद्दिष्ट निधियों से निवेश <sup>(ग)</sup>	--	19	4,01.27	3,98.06
<b>i wthxr 0; ;</b>			<b>9,92,29.20</b>	<b>8,84,52.66</b>
(i) कंपनियों तथा निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	--	14	1,52,75.10	1,46,56.50
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय	--	5	8,39,54.10	7,37,96.16
vkdfLedrk fuf/k (vuki fjr)	--	--	निरंक	निरंक
__k rFk vfxe	--	16	<b>3,20,72.34</b>	<b>2,70,88.10</b>
foHkkxh; vf/kdkfj; ka ds ikl vfxe	--	18	<b>11.61</b>	<b>12.49</b>
mpar rFk fofo/k 'k'sk <sup>(घ)</sup>	--	--	निरंक	निरंक
i s'k.k 'k'sk	--	--	निरंक	निरंक
ikflr; ka ij 0; ; dk l p; h vkf/kD; % <sup>3/4</sup>	--	--	निरंक	निरंक
; ksx	--	--	<b>13,57,90.18</b>	<b>12,26,28.06</b>

(क) परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों की राशियाँ संचयी राशियाँ हैं। कृपया 'लेखों पर टिप्पणियाँ' अनुभाग के अंतर्गत टिप्पणी 1(ii) भी देखें।

(ख) विवरण संख्या-2 के अनुलग्नक के नीचे पाद टिप्पणी (ख) एवं (ग) देखें।

(ग) कंपनियों इत्यादि के शेयरों में उद्दिष्ट निधियों में से किये गए निवेश पूंजीगत व्यय में से हटाए गए हैं तथा 'उद्दिष्ट निधियों से निवेशों' में शामिल किये गए हैं।

(घ) इस विवरण में पंक्ति मद 'उच्चत एवं विविध शेषों' में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' 'विभागीय शेष' तथा 'स्थाई अग्रिम' शामिल नहीं हैं, जिन्हें पृथक से ऊपर सम्मिलित किया गया है, यद्यपि इन्हें लेखों में अन्यत्र इसी क्षेत्र में शामिल किया गया है।

(ङ) प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य अथवा व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से भिन्न है तथा चालू वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं है।

fooj.k i =d l a ; k 1 – समाप्त

(₹ करोड़ में)

nkf; Ro	l nHkz (l jy Øekd)		31 ekpl 2014 dks	31 ekpl 2013 dks
	लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण संख्या		
m/kkj (ykd __.k)	--	--	7,21,13.32	6,65,77.14
(i) आंतरिक ऋण	--	6	5,93,95.09	5,43,09.33
(ii) केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	--	6	1,27,18.23	1,22,67.81
योजनेतर कर्ज	--	6	46.49	50.17
राज्य योजनागत योजनाओं के लिये ऋण	--	6	1,26,69.86	1,22,15.76
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये ऋण	--	6	निरंक	निरंक
केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत योजनाओं के लिये ऋण	--	6	निरंक	निरंक
अन्य ऋण	--	6	1.88	1.88
vkdfLedrk fuf/k Wfudk; ½	3(x)	18	2,00.00	2,00.00
ykd ys[kk l s l af/kr nkf; Ro	--	--	2,65,99.94	2,51,57.72
(i) लघु बचत, भविष्य निधि आदि	--	15, 18	1,16,98.46	1,07,52.33
(ii) जमा	--	15, 18	71,60.15	76,49.77
(iii) आरक्षित निधियाँ	--	18, 19	62,55.19	55,87.16
(iv) प्रेषण शेष	--	18	13,66.27	10,80.65
(v) उचत तथा विविध शेष	--	18	1,19.87	87.81
0; ; ij ikflr; ka dk l p; h vkf/kD;	--	--	3,68,76.92 <sup>(क)</sup> (ख)	3,06,93.20 <sup>(क)</sup> (ख)
; ksx	--	--	13,57,90.18	12,26,28.06

(क) सहकारी समितियों/बैंकों से संबंधित वर्ष 2006-07 के पूंजी निवृत्ति/विनिवेश के ₹ 9.19 करोड़ सम्मिलित हैं।

(ख) e[; 'kh"lz 4000&fofo/k iuthxr ikflr; k] लघुशीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां के ₹ 3,29.66 करोड़ शामिल हैं, जो विवरण संख्या 17 में पूंजीगत एवं अन्य व्यय से घटाये गये हैं।



## 2% i kflr; ka rFkk l forj.kka dk foj.k i=d

(₹ करोड़ में)

i kflr; k			l forj.k		
	2013&14	2012&13		2013&14	2012&13
Hkkx & I l efd r fuf/k					
vuqkx & v % jktLo					
jktLo i kflr; k	7,57,49.24	7,04,27.28	jktLo 0; ;	6,98,69.76	6,29,68.53
कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहा गया)	3,35,52.16	3,05,81.70	वेतन <sup>1</sup>	1,71,03.24	1,49,94.85
करेतर राजस्व	77,04.99	70,00.22	राजसहायता <sup>1</sup>	65,67.21	56,97.41
ब्याज प्राप्तियाँ	3,17.85	3,01.47	सहायता अनुदान <sup>2</sup>	1,63,26.93 <sup>3</sup>	1,44,70.52 <sup>3</sup>
अन्य	73,87.14	66,98.75	I keku; I ok, a		
			ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन	63,91.32	55,73.74
			पेंशन	59,31.74	49,46.79
I dk djka • kydka dk Hkkx	2,27,15.27	2,08,05.16	अन्य	33,58.49	28,24.07
			योग	1,56,81.55	1,33,44.60
			I keftd I ok, a	53,65.18	57,86.26
			vkfkd I ok, a	43,16.36	46,10.32
dlnz ljdkj l s vuqku	1,17,76.82	1,20,40.20	LFkuh; fudk; ka rFkk ipk; rh jkt l LFkvka dks {kfrir/ rFkk l eupsku	45,09.29	40,64.57
jktLo ?kVk	fujd	fujd	jktLo vkfkd;	58,79.48	74,58.75
vuqkx & c % iwth					
iwthx i kflr; k	35.98	31.45	iwthx ifj0; ; <sup>4,5</sup>	1,08,12.52	1,15,66.89
			वेतन <sup>1</sup>	--	--
			I keku; I ok, a	1,96.31	2,04.89
			I keftd I ok, a	18,99.30	16,20.99
			vkfkd I ok, a	87,16.91	97,41.01

<sup>1</sup> वेतन, राजसहायता तथा सहायता अनुदान की राशियाँ, समेकित राशि दर्शाने हेतु, सभी क्षेत्रों की एकत्रित की गई हैं। इस विवरण पत्रक में सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएं क्षेत्रों के व्यय के अंतर्गत वेतन, राजसहायता तथा सहायता अनुदान (पाद टिप्पणी-2 में वर्गीकृत) को शामिल नहीं किया गया है।

<sup>2</sup> सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, कंपनियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों इत्यादि को दी गई सहायता अनुदान शामिल है। ये अनुदान स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन से भिन्न है।

<sup>3</sup> euf; 'kh"z 3604 & LFkuh; fudk; ka rFkk ipk; rh jkt l LFkvka dks {kfrir/ rFkk l eupsku को छोड़कर लघुशीर्ष 191, 192, 193, 196, 197, 198 तथा उद्देश्य शीर्ष 42 सहायता अनुदान का योग सम्मिलित है।

<sup>4</sup> वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में आर्थिक सेवाएं में वेतन राशि के रूप में क्रमशः ₹ 2,07.45 करोड़ तथा ₹ 2,30.08 करोड़ सम्मिलित है। वर्ष 2012-13 में ₹ 0.43 करोड़ यहां सम्मिलित नहीं किए गए हैं ये ऋण क्षेत्र में euf'kh-6075 & fofo/k l keku; I okvka ds fy, .k से संबंधित हैं जैसा कि परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

<sup>5</sup> वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में सहायता अनुदान की राशि ₹ 81.30 करोड़ एवं ₹ 39.39 करोड़ (₹ 1.75 करोड़ सामाजिक क्षेत्र में तथा ₹ 37.64 करोड़ आर्थिक क्षेत्र में) सम्मिलित है। पूंजीगत परिव्यय शीर्षों के अन्तर्गत सहायक अनुदान का प्रावधान करने विषयक राज्य शासन को लिखा गया है।

fooj.k i=d l d; k 2 – जारी

(₹ करोड़ में)

ikflr; k;			l forj.k		
	2013&14	2012&13		2013&14	2012&13
__ .k rFkk vfxæa dh ol fy; k;	93.22	32.53	__ .k rFkk vfxæ l forfjr	50,77.52	53,78.25
			l keW; l ok, a	6.28	44.68
			l keftd l ok, a	67.61	1,29.88
			vkfFkd l ok, a	50,03.56	52,03.68
			vll;	0.07	0.01
l ko'ftud __ .k ikflr; k;	95,40.82	87,91.16	l ko'ftud __ .k dk i qHkkxrk	40,04.65	35,83.94
आंतरिक ऋण <sup>6</sup> (बाजार ऋण इत्यादि)	83,28.38 <sup>(क)</sup>	72,33.85 <sup>(ख)</sup>	आंतरिक ऋण (बाजार ऋण इत्यादि)	32,42.63 <sup>(ग)</sup>	29,35.53 <sup>(घ)</sup>
भारत सरकार से ऋण	12,12.44	15,57.31	भारत सरकार से ऋण	7,62.02	6,48.41
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2.44	9.14	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2.36	7.02
—	--	--	आकस्मिक निधि को स्थानान्तरण	निरंक	निरंक
dy ikflr; k;&l efd r fuf/k	8,54,21.70	7,92,91.56	dy 0; ; &l efd r fuf/k	8,97,66.81	8,35,04.63
l efd r fuf/k ea ?kkvk	43,45.11	42,13.07	l efd r fuf/k ea vkf/kD;	fujd	fujd
Hkkx&II vkdfLedrk fuf/k					
vkdfLedrk fuf/k	fujd	fujd	vkdfLedrk fuf/k	fujd	fujd
Hkkx&III ykd ys[kk <sup>7</sup>					
y?kq cpra	27,84.03	23,19.03	y?kq cpra	18,36.27	14,81.96
vkjff{kr , oa 'kks'ku fuf/k	16,12.01	24,41.51	vkjff{kr , oa 'kks'ku fuf/k	6,43.94	4,22.48
tek	97,65.19	60,26.76	tek	1,02,54.81	56,77.26
vfxæ	6,03.66	4,74.71	vfxæ	6,02.78	4,76.19
mpar , oa fofo/k	19,88,81.38	22,59,09.53	mpar , oa fofo/k <sup>8</sup>	19,58,13.02	22,62,58.75
i \$k. k	1,56,02.17	1,51,67.15	i \$k. k	1,53,16.54	1,47,66.89
; ksx&ykd ys[kk ikflr; k;	22,92,48.44	25,23,38.69	; ksx&ykd ys[kk l forj.k	22,44,67.36	24,90,83.53
ykd ys[kk ea ?kkvk	fujd	fujd	ykd ys[kk ea vkf/kD;	47,81.08	32,55.16
i kjfHkd jkdM+ 'k\$'k	(-) 2,62.75	6,95.16	vfre jkdM+ 'k\$'k	1,73.22	(-) 2,62.75
jkdM+ 'k\$'k ea of)	4,35.97	fujd	jkdM+ 'k\$'k ea deh	fujd	9,57.91

<sup>6</sup> आंतरिक ऋण में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (NSSF) से संबंधित प्राप्तियां (क) ₹ 19,96.40 करोड़ (ख) ₹ 14,39.24 करोड़ और संवितरण (ग) ₹ 7,26.56 करोड़ (घ) ₹ 7,14.26 करोड़ सम्मिलित हैं।

<sup>7</sup> विवरण हेतु कृपया खंड-II का विवरण संख्या-18 देखें।

<sup>8</sup> 'उचंत तथा विविध' में 'अन्य लेखे' यथा रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि सम्मिलित हैं। इन अन्य लेखाओं में आंकड़े वृहद रूप में परिलक्षित होते हैं। कृपया विस्तृत विवरण, विवरण संख्या 18 में देखें।

fooj.k i=d l q; k 2 – जारी  
fooj.k i=d l q; k 2 dk vuqYud  
jkcdM+ 'ks'k vkj jkcdM+ 'ks'kka dk fuos'k

(₹ करोड़ में)

I jdkj dh l Ei wkz jkcdM+ fLFkfr	31 eapl 2014 dks	31 eapl 2013 dks
d& l kekl; jkcdM+ 'ks'k &		
(i) खजानों में रोकड़	निरंक	निरंक
(ii) रिजर्व बैंक में जमा <sup>(क)</sup>	1,73.22 <sup>(ख)(ग)</sup>	(-) 2,62.75
(iii) अन्य बैंकों में जमा	निरंक	निरंक
(iv) स्थानीय प्रेषण	निरंक	निरंक
योग	1,73.22	(-) 2,62.75
(v) रोकड़ शेष में किया गया निवेश	38,99.14	68,06.45
योग – क – सामान्य रोकड़ शेष	40,72.36	65,43.70
[k& vl; jkcdM+ 'ks'k vkj fuos'k &		
(vi) विभागीय रोकड़ शेष	2.57	1,32.24
(vii) स्थाई अग्रिम	0.83	0.81
(viii) चिह्नित निधियों से निवेश	4,01.27	3,98.06
योग – ख – अन्य रोकड़ शेष और निवेश	4,04.67	5,31.11
; ksx & d \$ [k	<b>44,77.03</b>	<b>70,74.81</b>

0; k [; kRed fVli .kh

- (क) रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य : रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य के अन्तर्गत खजानों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों में जमा तथा मार्गस्थ प्रेषण, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, सम्मिलित है। भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शीर्ष के अन्तर्गत शेष, वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेष को दर्शाते हैं। रोकड़ की समग्र स्थिति पर पहुंचने के लिये खजानों, विभागों में रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष/आरक्षित निधियों इत्यादि से निवेश को रिजर्व बैंक में जमा के शेषों में जोड़ा जाता है।

(क) 15 अप्रैल, 2014 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित वित्तीय वर्ष 2013-14 से संबंधित "रिजर्व बैंक में जमा" शीर्ष के अंतर्गत शेष अंतर-सरकार मौद्रिक व्यवस्थापन को लेखे में शामिल करने के उपरांत है।

(ख) दिनांक 31.10.2000 को भारतीय रिजर्व बैंक तथा महालेखाकार की पुस्तकों में ₹ 0.27 करोड़ के अंतर को अनंतिम रूप से आवंटित मध्यप्रदेश (₹ 0.05 करोड़) तथा छत्तीसगढ़ (₹ 0.22 करोड़) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य जनसंख्या अनुपात (485.7 : 176.2) में परिशोधित किया जाना है।

(ग) "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अंतर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 39.25 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 1,73.22 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च, 2014 के लेखे बंद होने पर ₹ 1,33.97 करोड़ (जमा) का अंतर था। अप्रैल 2014 के लेखाओं के बंद होने के उपरांत ₹ 49.29 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर समाधान के लिये शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों को, लेखों में, गलत प्रतिवेदित करने के कारण है।

fooj.k i=d l d; k 2 & जारी

fooj.k i=d l d; k 2 dk vuqYud & जारी

- (ख) nfud jkdM+ 'k'sk % रिजर्व बैंक के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को बैंक में ₹ 1.96 करोड़ न्यूनतम शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि अनुबंध के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम, अधिविकर्षण लेकर की जाती है।

दैनिक रोकड़ शेष<sup>1</sup> बनाये रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण को मंजूर करने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लिये प्रतिवेदित लेन-देन (भारतीय रिजर्व बैंक काउण्टर पर, अंतर सरकार लेन-देन तथा खजाना लेन-देन एजेंसी बैंक द्वारा प्रतिवेदित) के साथ 14 दिवसीय कोषालय देयकों की धारिता का मूल्यांकन करता है। 14 दिवसीय कोषालय देयक की परिपक्वता पर यदि कोई हो, जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उसे जोड़ा जाता है तथा आधिक्य शेष यदि कोई हो, न्यूनतम रोकड़ शेष को बनाये रखने के पश्चात उसे खजाना बिलों में पुनर्निवेशित किया जाता है। यदि निकाला गया निवल रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम होता है या जमा अवशेष में आता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषालय देयक परिपक्व नहीं हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय कोषालय देयक की धारिता की कटौती करती है और कमी को पूरा कर दिया जाता है। यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना देयक की धारिता नहीं है, राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष के लिये आवेदन करती है।

वर्ष 2013-14 के दौरान अर्थोपाय एवं अग्रिम पर ब्याज की प्रभावी दरें निम्नानुसार थीं :-

<u>vu+d:</u>	<u>ukedj .k</u>	<u>nj</u>
1.	अर्थोपाय अग्रिम (साधारण)	
	(क) 90 दिन तक	रेपो दर
	(ख) 90 दिन से अधिक	रेपो दर + 1
2.	अर्थोपाय अग्रिम (विशेष)	रेपो दर - 1
3.	कमी	रेपो दर
4.	अधिविकर्षण	
	(क) अर्थोपाय अग्रिम (साधारण) के 100 प्रतिशत तक	रेपो दर + 2
	(ख) अर्थोपाय अग्रिम (साधारण) के 100 प्रतिशत से अधिक	रेपो दर

वर्ष 2013-14 के दौरान रेपोरेट 7.50 से 8.00 प्रतिशत तक परिवर्तनशील रही।

राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 2013-14 के दौरान न्यूनतम शेष राशि को बनाये रखने में कहां तक समर्थ थी, यह नीचे दर्शाया गया है :-

(i)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष बिना अग्रिम लिए बनाये रखा गया	365
(ii)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखा गया	निरंक
(iii)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखा गया	निरंक
(iv)	दिनों की संख्या, जब उपरोक्त अग्रिमों का उपयोग करने पर न्यूनतम शेष में कमी थी, किन्तु कोई अधिविकर्षण नहीं लिया गया	निरंक
(v)	दिनों की संख्या जब अधिविकर्षण लिया गया	निरंक

1 उपरोक्त नकदी शेष (भारतीय रिजर्व बैंक में जमा) वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में संवरित नकदी शेष है परन्तु 15 अप्रैल को निकाला गया है तथा 31 मार्च का साधारण दैनिक शेष नहीं है।

fooj.k i=d l a; k 2 & समाप्त

fooj.k i=d l a; k 2 dk vuyxud & समाप्त

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिमों तथा उन पर भुगतान किए गए ब्याज के संबंध में लेन-देनों का विस्तृत लेखा नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

fooj.k	1 vi dy 2013 dks 'k'k	2013&14 ds nkj ku i klr dh xbz jkf.k	2013&14 ds nkj ku pdkbz xbz jkf.k	31 epl 2014 dks 'k'k	2013&14 ds nkj ku Hkqrku fd; k x; k C; kt
साधारण अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
विशेष अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
अधिविकर्षण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

31 मार्च 2014 को सामान्य रोकड़ शेष से किए गए निवेशों के ब्यौरे निम्न हैं :-

(₹ djkM+e)

ifrHkr dk idkj		jkf.k
(1)	भारत सरकार के खजाना बिल	38,98.89
(2)	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	0.25
	योग	38,99.14

वर्ष के दौरान उपरोक्त निवेशों पर ₹ 2,41.47 करोड़ (अल्प अवधि की प्रतिभूतियों पर ₹ 2,41.45 करोड़ एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों पर ₹ 0.02 करोड़) का ब्याज प्राप्त हुआ। जबकि 2012-13 के दौरान ₹ 2,48.27 करोड़ (अल्प अवधि की प्रतिभूतियों पर ₹ 2,48.25 करोड़ एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों पर ₹ 0.02 करोड़) था।

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों के अंशों/ऋण पत्रों में किए गए निवेशों के ब्यौरे विवरण संख्या-14 में दिए गए हैं।

उद्दिष्ट रक्षित निधियों से निवेशित राशियाँ विवरण संख्या-19 में दर्शाई गई हैं।

## 3 % i kflr; ka dk foofj.k i=d ¼ efd r fuf/k½

(₹ dj kM+e)

	foofj.k	okLrfod	
		2013&14	2012&13
I-	dj ,oa dj rj jktLo		
d	dj jktLo		
d-1	Lo; a dk dj jktLo	<b>3,35,52.16</b>	<b>3,05,81.70</b>
	भू-राजस्व	3,66.23	4,43.59
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	34,00.00	39,44.24
	राज्य उत्पाद शुल्क	59,07.39	50,78.06
	विक्रय कर	1,66,49.85	1,48,56.29
	माल तथा यात्रीकर	25,78.74	23,95.03
	वाहन कर	15,98.93	15,31.25
	अन्य	30,51.02	23,33.24
d-2	l ½k djka , oa 'kq/d ds 'kq) v kxe dk Hkkx	<b>2,27,15.27</b>	<b>2,08,05.16</b>
	निगम कर	76,39.46	74,73.42
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	50,30.36	44,74.21
	धन कर	20.98	12.62
	सीमा शुल्क	37,06.24	34,57.34
	संघ उत्पाद शुल्क	26,17.64	23,49.62
	सेवा कर	37,00.60	30,37.95
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	(-) 0.01 <sup>(क)</sup>	निरंक
	; ksx & d	<b>5,62,67.43</b>	<b>5,13,86.86</b>
[k	dj rj jktLo		
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	23,06.17	24,43.39
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	20,08.49	16,82.50
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	10,36.80	9,10.38
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3,80.22	2,39.15
	लाभांश तथा लाभ	3,78.72	18.38
	बिजली	3,78.66	3,70.69
	ब्याज प्राप्तियाँ	3,17.85	3,01.47
	लघु सिंचाई	2,19.37	3,79.62
	मध्यम सिंचाई	1,11.36	80.51

(क) कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 11 में मु.शी.0045 के नीचे पाद टिप्पणी (क) देखें।

fooj.k i=d l f; k 3 –जारी

(₹ djkm+e)

	fooj.k	okLrfod	
		2013&14	2012&13
I-	dj ,oa djrj jktLo & समाप्त		
[k	djrj jktLo & समाप्त		
	पुलिस	71.92	83.59
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	57.76	44.83
	उद्योग	49.21	24.08
	लोक निर्माण कार्य	46.92	33.22
	अन्य सामाजिक सेवाएं	42.22	32.07
	शहरी विकास	35.72	41.61
	विविध सामान्य सेवाएं	33.69	30.40
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	31.62	29.77
	फसल कृषि-कर्म	27.76	25.53
	बृहद् सिंचाई	27.12	57.22
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	22.24	18.94
	आवास	17.19	16.33
	श्रम तथा रोजगार	17.17	16.37
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	16.49	13.91
	सहकारिता	12.24	13.02
	जलपूर्ति तथा सफाई	10.33	11.09
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	8.23	9.78
	लोक सेवा आयोग	8.13	5.80
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	6.05	45.76
	सड़क तथा सेतु	5.83	5.98
	पशुपालन	4.90	2.46
	मछली पालन	3.74	3.25
	जेल	3.53	3.67
	अन्य कृषि कार्यक्रम	3.41	2.59
	खाद्य, भंडारण तथा भाण्डागार	1.84	0.27
	ग्राम तथा लघु उद्योग	1.77	2.14
	परिवार कल्याण	0.16	0.23
	सूचना तथा प्रचार	0.11	0.21
	अन्य राजकोषीय सेवायें	0.04	निरंक
	अन्य उद्योग	0.01	निरंक
	पेट्रोलियम	निरंक	0.01
	; ksx & [k	<b>77,04.99</b>	<b>70,00.22</b>

fooj.k i=d l f; k 3 –जारी

(₹ djkM+e)

	fooj.k	okLrfod	
		2013&14	2012&13
II	Hkkjr ljdkj l s vuqku		
X	vuqku		
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		
	; kst udkj vuqku	<b>35,40.25</b>	<b>3,32.93</b>
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	26,39.54	2,72.84
	राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	3,41.00	निरंक
	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अनुदान	5,02.59	निरंक
	अन्य अनुदान	57.12	60.09
	jkt; @l dk {ks= dh ; kstukxr Ldheka ds fy; s vuqku	<b>55,35.77</b>	<b>70,99.43</b>
	एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान (जिसमें से ई ए पी)	39,35.27	41,53.77
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	निरंक	88.94
	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत के लिए अग्रिम आयोजना सहायता के रूप में अनुदान	निरंक	3,24.76
	अन्य अनुदान	16,00.50	25,31.96
	dlnh; ; kstukxr ; kstukvka ds fy; s vuqku	<b>1,52.71</b>	<b>4,99.99</b>
	dlnz jkjk i dfrz ; kstukxr ; kstukvka ds fy; s vuqku	<b>25,48.09</b>	<b>41,07.85</b>
	; ksx & x	<b>1,17,76.82</b>	<b>1,20,40.20</b>
	; ksx & jktLo ikflr; k; (d + [k + x)	<b>7,57,49.24</b>	<b>7,04,27.28</b>



fooj.k i=d l a; k 3 – समाप्त

₹ djkm+e

	fooj.k	okLrfod	
		2013&14	2012&13
III	i wth] ykcd __.k rFkk vU; i kflr; k;		
?k	i wthxr i kflr; k;		
	विनिवेश आगम	25.54	21.45
	अन्य	10.44	10.00
	; kx & ?k	<b>35.98</b>	<b>31.45</b>
3	ykd __.k i kflr; k;		
	vkrfjd __.k	<b>83,28.38</b>	<b>72,33.85</b>
	बाजार ऋण	50,00.00	45,00.00
	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	13,31.98	12,94.61
	केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	19,96.40	14,39.24
	अन्य ऋण	निरंक	निरंक
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	<b>12,12.44</b>	<b>15,57.31</b>
	योजनेतर ऋण	निरंक	निरंक
	राज्य योजनागत योजनाओं के लिये ऋण	12,12.44	15,57.31
	; kx & 3	<b>95,40.82</b>	<b>87,91.16</b>
p	jkT; l jdkj }kjk fn; s x, __.k vkj vfxE (वसूलियों) <sup>(क)</sup>	<b>93.22</b>	<b>32.53</b>
N	vUrkT; h; i fj•kkku	<b>2.44</b>	<b>9.14</b>
	; kx & l efd r fuf/k ds varxr dy i kflr; k; (d + [k + x + ?k + 3 + p + छ)	<b>8,54,21.70</b>	<b>7,92,91.56</b>

(क) विस्तृत विवरण, खण्ड-II में विवरण संख्या-7 एवं 16 में दिये गए हैं।

## 4 % 0; ; dk foj.k i =d % efd r fuf/k½

d- dk; /vk/kkfjr 0; ; %&amp;

(₹ करोड़ में)

	foj.k	jktLo	iwthxr	_.k ,oa vfxe	; ksx
d	l keklj; l ok, a				
d-1	jkT; ds vx	<b>8,37.74</b>	निरंक	निरंक	<b>8,37.74</b>
	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	47.76	निरंक	निरंक	47.76
	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	7.15	निरंक	निरंक	7.15
	मंत्रिपरिषद	79.26	निरंक	निरंक	79.26
	न्याय प्रशासन	4,88.11	निरंक	निरंक	4,88.11
	निर्वाचन	2,15.46	निरंक	निरंक	2,15.46
d-2	jktdk'kh; l ok, a	<b>25,83.68</b>	निरंक	निरंक	<b>25,83.68</b>
	आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	0.15	निरंक	निरंक	0.15
	भू-राजस्व	4,39.19	निरंक	निरंक	4,39.19
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	6,00.18	निरंक	निरंक	6,00.18
	राज्य उत्पाद शुल्क	13,20.37	निरंक	निरंक	13,20.37
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,36.63	निरंक	निरंक	1,36.63
	वाहन कर	65.18	निरंक	निरंक	65.18
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	19.86	निरंक	निरंक	19.86
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	2.12	निरंक	निरंक	2.12
	ब्याज अदायगियाँ	63,91.32	निरंक	निरंक	63,91.32
d-3	i kkl fud l ok, a	<b>48,33.63</b>	<b>1,96.31</b>	निरंक	<b>50,29.94</b>
	लोक सेवा आयोग	9.02	निरंक	निरंक	9.02
	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1,43.69	निरंक	निरंक	1,43.69
	जिला प्रशासन	4,18.70	निरंक	निरंक	4,18.70
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	1,08.13	निरंक	निरंक	1,08.13
	पुलिस	32,90.44	58.03	निरंक	33,48.47
	जेल	2,13.62	निरंक	निरंक	2,13.62
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	42.68	0.06	निरंक	42.74
	लोक निर्माण-कार्य	3,63.37	1,14.87	निरंक	4,78.24
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2,43.98	23.35	निरंक	2,67.33
d-4	i ku rFkk fofo/k l keklj; l ok, a	<b>59,44.56</b>	निरंक	<b>6.28</b>	<b>59,50.84</b>
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	59,31.74	निरंक	निरंक	59,31.74
	विविध सामान्य सेवाएं	12.82	निरंक	6.28	19.10
	; ksx & d & l keklj; l ok, a	<b>2,05,90.93</b>	<b>1,96.31</b>	<b>6.28</b>	<b>2,07,93.52</b>

fooj.k i=d l d; k 4 – जारी

d- dk; l vk/kkfjr 0; ; & जारी

(₹ करोड़ में)

	fooj.k	jktLo	i thxr	_.k , oa vfxe	; kx
[k	l keftd l ok, a				
[k-1	f.k{kk} [ksydin] dyk rFkk l dfr <sup>ksd</sup>	<b>1,36,97.14</b>	<b>1,31.60</b>	<b>10.00</b>	<b>1,38,38.74</b>
	सामान्य शिक्षा	1,31,98.82	1,31.60	10.00	1,33,40.42
	तकनीकी शिक्षा	2,27.71	निरंक	निरंक	2,27.71
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	1,34.32	निरंक	निरंक	1,34.32
	कला एवं संस्कृति	1,36.29	निरंक	निरंक	1,36.29
[k-2	LokLF; rFkk ifjokj dY; k.k	<b>32,83.60</b>	<b>1,66.01</b>	निरंक	<b>34,49.61</b>
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	28,92.89	1,66.01	निरंक	30,58.90
	परिवार कल्याण	3,90.71	निरंक	निरंक	3,90.71
[k-3	tyi fr] l Qkb] vkokl rFkk 'kgjh fodkl	<b>28,41.45</b>	<b>9,25.13</b>	<b>39.79</b>	<b>38,06.37</b>
	जलपूर्ति तथा सफाई	9,05.21	7,56.86	निरंक	16,62.07
	आवास	3,48.00	72.71	निरंक	4,20.71
	शहरी विकास	15,88.24	95.56	39.79	17,23.59
[k-4	l puk rFkk id kj.k	<b>1,75.50</b>	निरंक	निरंक	<b>1,75.50</b>
	सूचना तथा प्रचार	1,75.50	निरंक	निरंक	1,75.50
[k-5	vu] frpr tkfr; k] vu] frpr tutkfr; ka rFkk vl; fi NM\$ oxka dk dY; k.k	<b>24,15.97</b>	<b>3,43.38</b>	<b>17.82</b>	<b>27,77.17</b>
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	24,15.97	3,43.38	17.82	27,77.17
[k-6	Jfed rFkk Je dY; k.k	<b>2,21.63</b>	निरंक	निरंक	<b>2,21.63</b>
	श्रम तथा रोजगार	2,21.63	निरंक	निरंक	2,21.63
[k-7	l ekt dY; k.k rFkk i k'k.k	<b>50,18.15</b>	<b>3,27.99</b>	निरंक	<b>53,46.14</b>
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	27,91.62	3,27.99	निरंक	31,19.61
	पोषण	10,84.32	निरंक	निरंक	10,84.32
	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	11,42.21	निरंक	निरंक	11,42.21
[k-8	vl;	<b>1,14.77</b>	<b>5.19</b>	निरंक	<b>1,19.96</b>
	अन्य सामाजिक सेवाएं	90.34	5.19	निरंक	95.53
	सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	24.43	निरंक	निरंक	24.43
	; kx & [k & l keftd l ok, a	<b>2,77,68.21</b>	<b>18,99.30</b>	<b>67.61</b>	<b>2,97,35.12</b>

(क) पूंजीगत लेखा तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति नामक एकल मुख्य शीर्ष है।

fooj.k i =d l [ ; k 4 –जारी

d- dk; l vk/kkfjr 0; ; & जारी

(₹ करोड़ में)

	fooj.k	jktLo	i thxr	__ .k , oa vfxæ	; ksx
x	vkfFkd l ok, a				
x-1	df"k rFkk l Ec) dk; l dyki	<b>62,13.95</b>	<b>1,86.52</b>	<b>3,04.19</b>	<b>67,04.66</b>
	फसल कृषि-कर्म	12,68.75	21.56	निरंक	12,90.31
	मृदा तथा जल संरक्षण	64.80	निरंक	निरंक	64.80
	पशुपालन	6,04.03	22.06	निरंक	6,26.09
	मछली पालन	57.74	0.30	निरंक	58.04
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	18,90.45	92.93	निरंक	19,83.38
	खाद्य, भंडारण तथा भाण्डागार	17,43.35	निरंक	1,47.68	18,91.03
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	1,38.01	निरंक	निरंक	1,38.01
	सहकारिता	4,46.82	49.67	1,56.51	6,53.00
x-2	xkeh.k fodkl	<b>34,05.56</b>	<b>7,02.69</b>	<b>fujd</b>	<b>41,08.25</b>
	ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	2,16.84	निरंक	निरंक	2,16.84
	ग्रामीण रोजगार	2,41.72	निरंक	निरंक	2,41.72
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	29,47.00	7,02.69	निरंक	36,49.69
x-3	fl pkbz rFkk ck<+fu; æ .k	<b>7,82.97</b>	<b>45,37.31</b>	<b>fujd</b>	<b>53,20.28</b>
	बृहद् सिंचाई	1,18.13	25,56.48	निरंक	26,74.61
	मध्यम सिंचाई	5,41.06	6,86.47	निरंक	12,27.53
	लघु सिंचाई	1,20.07	11,93.20	निरंक	13,13.27
	कमान क्षेत्र विकास	3.71	94.38	निरंक	98.09
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	निरंक	6.78	निरंक	6.78
x-4	ktkl	<b>33,40.48</b>	<b>6,31.64</b>	<b>43,51.37</b>	<b>83,23.49</b>
	विद्युत	32,96.51	6,31.64	43,51.37	82,79.52
	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	43.97	निरंक	निरंक	43.97
x-5	m   ksx rFkk [kfut	<b>14,69.31</b>	<b>1,94.92</b>	<b>3,48.00</b>	<b>20,12.23</b>
	ग्राम तथा लघु उद्योग	2,87.40	1,84.90	98.00	5,70.30
	उद्योग	2,70.55	निरंक	निरंक	2,70.55
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	9,11.36	1.37	निरंक	9,12.73
	अन्य उद्योग	निरंक	3.65	निरंक	3.65
	उद्योग तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	निरंक	5.00	निरंक	5.00
	पेट्रो केमिकल उद्योग	निरंक	निरंक	2,50.00	2,50.00
x-6	ifjogu	<b>14,12.21</b>	<b>23,82.55</b>	निरंक	<b>37,94.76</b>
	नागर विमानन	0.23	81.15	निरंक	81.38
	सड़क तथा सेतु	14,11.98	23,01.40	निरंक	37,13.38

fooj.k i=d l ; k 4 –जारी

d- dk; Z vk/kkfjr 0; ; & समाप्त

(₹ करोड़ में)

	fooj.k	jktLo	i thxr	__ .k , oa vfxæ	; ksx
x-7	foKku  i ks  kfxcdh rFkk i ; kbj.k	1,20.61	22.65	fujd	1,43.26
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	1,20.61	22.65	निरंक	1,43.26
x-8	l kekl; vkfFkd l ok, a	2,26.25	58.63	fujd	2,84.88
	सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	26.52	निरंक	निरंक	26.52
	पर्यटन	72.44	58.38	निरंक	1,30.82
	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	1,12.09	निरंक	निरंक	1,12.09
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	15.20	0.25	निरंक	15.45
	; ksx & x & vkfFkd l ok, a	1,69,71.34	87,16.91	50,03.56	3,06,91.81
?k	__ .k  l gk; rk vuqku rFkk vknku				
(i)	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	45,39.28	निरंक	निरंक	45,39.28
	; ksx & 1/2 & LFkkh; fudk; ka rFkk i pk; rh jkt l LFkkvka dks {kfr i frz rFkk l euqdku	45,39.28	fujd	fujd	45,39.28
(ii)	l jdkjh deqkfj; ka dks __ .k vkfn				
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि	निरंक	निरंक	0.07	0.07
	; ksx & 1/2 & l jdkjh deqkfj; ka dks __ .k vkfn	fujd	fujd	0.07	0.07
(iii)	ykd __ .k				
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	निरंक	निरंक	32,42.63	32,42.63
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	निरंक	निरंक	7,62.02	7,62.02
	; ksx & 1/2 & ykd __ .k	fujd	fujd	40,04.65	40,04.65
	; ksx & ?k & __ .k  l gk; rk vuqku rFkk vknku	45,39.28	fujd	40,04.72	85,44.00
3	vUrkZ; h; i fj•kksku	निरंक	निरंक	2.36	2.36
p	vkdfLedrk fuf/k dks fofu; ksx	fujd	fujd	fujd	fujd
	; ksx & l efd r fuf/k ds varxr 0; ;	6,98,69.76	1,08,12.52	90,84.53	8,97,66.81

fooj.k i =d l d ; k 4 -जारी

[k % i dfr vu d kj 0 ; ;

₹ d j k M + e d

I - Ø.	0 ; ; dk ml s ;	2013-14			2012-13		
		jktLo	i wthxr	; kx	jktLo	i wthxr	; kx
1	सहायक अनुदान	2,05,45.59 <sup>(क)</sup>	39.39	2,05,84.98	1,82,55.11 <sup>(क)</sup>	81.30	1,83,36.41
2	वेतन	1,71,03.24	2,30.08	1,73,33.32	1,49,94.85	2,07.45 <sup>(ग)</sup>	1,52,02.30 <sup>(ग)</sup>
3	बृहद् निर्माण कार्य	निरंक	79,38.63	79,38.63	73.72	75,64.68	76,38.40
4	ब्याज/लाभांश का भुगतान	64,33.31	निरंक	64,33.31	56,13.29	निरंक	56,13.29
5	पेंशन तथा पेंशन योग्य हित लाभ	57,99.47	निरंक	57,99.47	48,47.29	निरंक	48,47.29
6	राजसहायता	65,67.21	निरंक	65,67.21	56,97.41	निरंक	56,97.41
7	सामग्री एवं आपूर्ति	31,18.29	51.63	31,69.92	28,53.13	35.07	28,88.20
8	अंतर लेखा अंतरण	15,67.88	निरंक	15,67.88	23,24.17	निरंक	23,24.17
9	लघु निर्माण कार्य	2,13.70	10,09.91	12,23.61	1,54.49	13,30.26	14,84.75
10	अन्य प्रभार	6,09.40	3,34.51	9,43.91	7,51.68	3,33.66	10,85.34
11	अनुरक्षण	16,82.55 <sup>(घ)</sup>	5.79	16,88.34	14,67.52	7.06	14,74.58
12	निवेश	निरंक	7,44.29	7,44.29	निरंक	16,61.94	16,61.94
13	शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति	11,56.07	0.01	11,56.08	11,24.26	निरंक	11,24.26
14	पेशेवर सेवाओं के लिये भुगतान	11,43.96	15.50	11,59.46	9,21.46	15.37	9,36.83
15	मजदूरी	9,50.61	77.10	10,27.71	7,76.74	46.64	8,23.38
16	कार्यालय व्यय	6,85.49	11.92	6,97.41	6,16.78	5.92	6,22.70
17	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	1,86.52	निरंक	1,86.52	3,77.39	निरंक	3,77.39
18	मशीनरी	1,96.81	18.02	2,14.83	1,64.26	26.19	1,90.45

(क) उद्देश्य शीर्ष 42-सहायक अनुदान एवं  $\text{₹} 3604\text{L}$  का योग शामिल है, परन्तु लघु शीर्ष 191, 192, 193, 196, 197 एवं 198 के अन्तर्गत भुगतान किए गए सहायक अनुदान की राशि शामिल नहीं है।

(ख) उप विस्तृत शीर्ष 45 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान की राशि शामिल नहीं है।

(ग) यह राशि परिशिष्ट-II के अनुरूप नहीं है क्योंकि वेतन राशि  $\text{₹} 42.95$  लाख  $\text{₹} 6075\%$  इस राशि में शामिल नहीं है।

(घ) यह परिशिष्ट-XI "राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण पत्रक" के नीचे दर्शाए गए राजस्व अनुभाग के योग से नहीं मिलते हैं क्योंकि परिशिष्ट-XI में केवल निर्माण विभाग से संबंधित मुख्यशीर्षों के आंकड़े लिये गये हैं।

fooj.k i =d l d ; k 4 – समाप्त

[k % i dfr vu d kj 0 ; ; & समाप्त

₹ d j k M + e

l - Ø.	0 ; ; dk ml ; ;	2013-14			2012-13		
		jktLo	i wthxr	; kx	jktLo	i wthxr	; kx
19	भूमि तथा भवन का क्रय	7.22	94.77	1,01.99	13.67	2,42.91	2,56.58
20	अंशदान	1,87.86	1,01.04	2,88.90	1,33.97	48.59	1,82.56
21	मोचन निधि	1,42.94	निरंक	1,42.94	1,22.42	निरंक	1,22.42
22	विज्ञापन तथा प्रचार	1,71.50	निरंक	1,71.50	1,62.89	निरंक	1,62.89
23	यात्रा भत्ता	1,63.88	4.94	1,68.82	1,14.51	10.15	1,24.66
24	परीक्षा तथा प्रशिक्षण	1,06.94	22.05	1,28.99	1,02.57	7.75	1,10.32
25	कर तथा स्वत्व शुल्क का भुगतान	88.53	निरंक	88.53	82.72	निरंक	82.72
26	वेतन, भत्ते – अखिल भारतीय सेवाएं	79.84	1.19	81.03	72.78	1.27	74.05
27	वाहनों का क्रय	21.77	निरंक	21.77	25.53	0.30	25.83
28	क्षतिपूर्ति	2,03.49	0.30	2,03.79	1,27.79	0.70	1,28.49
29	सर्वेक्षण, जाँच तथा डिजाइन करना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना	0.22	35.45	35.67	0.45	86.61	87.06
30	मुद्रांक पत्रों के मुद्रण पर व्यय	28.41	निरंक	28.41	28.03	निरंक	28.03
31	उचंत	11.93	निरंक	11.93	10.53	निरंक	10.53
32	पुरस्कार, पारितोषिक, इनाम	4.74	निरंक	4.74	20.24	निरंक	20.24
33	वसूलियाँ	(-) 5,10.24	(-) 1,53.34	(-) 6,63.58	(-) 1,63.56	(-) 2,91.72	(-) 4,55.28
34	अन्य	12,00.63	2,29.34	14,29.97	11,00.44	1,44.79	12,45.23
	; kx	<b>6,98,69.76</b>	<b>1,08,12.52</b>	<b>8,06,82.28</b>	<b>6,29,68.53</b>	<b>1,15,66.89</b>	<b>7,45,35.42</b>

---

 ys[kka ij fVli f. k; k;
 

---

1- fof•k"V ys[kkadu uhfr; ka dk l kjka k

(i) vflrRo ,oa ys[kkadu vof/k % ये लेखे 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के मध्यप्रदेश सरकार के लेन-देनों को प्रदर्शित करते हैं। मध्यप्रदेश सरकार के प्राप्ति और व्यय के लेखों को प्रारंभिक लेखा रखने वाले 56 जिला कोषालयों, 116 लोक निर्माण, 126 वन संभागों, 64 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित किया जाता है एवं वर्ष के अंत में किसी भी मासिक लेखा को छोड़ा नहीं गया था तथा मासिक प्रस्तुतीकरण में विलंब नगण्य था।

(ii) ys[kkadu dk vk/kkj % कुछ पुस्तकीय समायोजनों के अपवाद सहित ¼ f'f'k"V I&d½ लेखांकन अवधि के दौरान लेखे वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे निवेश आदि ऐतिहासिक मूल्य पर दिखाये गये हैं अर्थात् संपत्ति के अर्जन/क्रय के वर्ष में मूल्य। भौतिक परिसंपत्तियों का मूल्यहास अथवा परिशोधन नहीं किया गया है। भौतिक परिसंपत्तियों की उनके जीवन पर्यन्त तक की हानि भी विस्तारित तथा मान्य नहीं की गई है।

लेखा अवधि के दौरान संवितरित निवृत्ति लाभों को लेखाओं में व्यक्त किया गया है परन्तु सरकार के भविष्य के पेंशन दायित्व अर्थात् इसके कर्मचारियों की पूर्व एवं वर्तमान सेवाओं के निवृत्ति लाभो को लेखा में शामिल नहीं किया गया है।

(iii) enk ftl ea ys[ks j [ks tkrs g½ % मध्यप्रदेश सरकार के लेखे भारतीय मुद्रा रुपये में संधारित किए जाते हैं।

(iv) ys[kkvka ds ii = % संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा विहित प्रपत्रों पर संघ एवं राज्य सरकार के लेखे रखे जाते हैं। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रपत्र' व्यापक अर्थों में है जिसमें न केवल विस्तारित प्रपत्र जिनमें लेखे रखे जाते हैं अपितु उपयुक्त शीर्षों के चयन का आधार भी है जिनके अन्तर्गत लेन-देनों को वर्गीकृत किया जाता है।

(v) jktLo ,oa iwth ds e/; oxhdj.k % राजस्व व्यय आवधिक प्रकृति का है और राजस्व प्राप्तियों से किया जाता है। पूंजीगत व्यय को स्थायी प्रकृति की ओर ठोस परिसम्पत्तियों में वृद्धि करने तथा स्थायी दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। सहायक अनुदान, प्रदाता की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में तथा प्राप्तिकर्ता की पुस्तकों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2- ys[kka dh xqkoUkk :-

¼ jktLo vkj iwthx 0; ; dk xyr fp=.k % वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत अनुभाग में "मरम्मत" के अन्तर्गत गलत बजट प्रावधान कर ₹ 5.79 करोड़ का एवं "सहायता अनुदान" के अन्तर्गत ₹ 39.39 करोड़ का व्यय किया गया ¼ f'f'k"V I&^[k^ , oa ^x^½। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य इस सीमा तक अधिक है।

जून 2013 में बजट समीक्षा के दौरान उपरोक्त गलत बजट प्रावधान के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया लेकिन 31 मार्च 2014 के अन्त तक सुधार नहीं हुआ।



## सूची-1: राजस्व व व्यय का विवरण – जारी

विवरण 800 & अन्य; राजस्व व व्यय; 0; ; अन्य व व्यय; लेखा के राजस्व प्राप्ति शीर्षों के नीचे लघुशीर्ष 800 – “अन्य प्राप्तियों” के अंतर्गत, संबद्ध मुख्यशीर्षों की दर्ज (कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 7,57,99.24 करोड़ की 20 प्रतिशत) ₹ 1,54,11.85 करोड़ वर्गीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार राजस्व एवं पूंजीगत व्यय शीर्षों के नीचे लघुशीर्ष 800 – “अन्य व्यय” के अंतर्गत संबद्ध मुख्यशीर्षों की दर्ज (कुल व्यय राशि ₹ 8,06,82.28 करोड़ की 12 प्रतिशत राशि) ₹ 95,32.67 करोड़ वर्गीकृत किये गये हैं। लघुशीर्ष 800—अन्य प्राप्तियाँ या अन्य व्यय का उस समय परिचालन किया जाता है जबकि लेखाओ में उपयुक्त लघुशीर्ष नहीं दिया गया हो। लघुशीर्ष 800 का सामान्य परिचालन निरुत्साहित किया जाना चाहिये, क्योंकि यह लेखे को अपारदर्शी बनाता है। प्राप्ति एवं व्यय के अधिकतर भाग (50 प्रतिशत या अधिक) को 800 – अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के उदाहरण अनुसूची में सूचीबद्ध किए गए हैं।

विवरण 0; ; अन्य प्रदेश बजट संहिता की कण्डिका 24.9.3 के अनुसार सभी नियंत्रण अधिकारियों को सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का महालेखाकार द्वारा लेखांकित राशि के साथ पुनर्मिलान करना चाहिए। वर्ष के दौरान 117 नियंत्रण अधिकारियों में से 104 बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा राशि ₹ 3,52,16.12 करोड़ (कुल व्यय ₹ 8,57,62.16 करोड़ का 41 प्रतिशत “लोक ऋण” के अन्तर्गत पुनर्भुगतान को छोड़कर) का मिलान किया गया। जबकि 117 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से केवल 06 द्वारा प्राप्तियों की राशि ₹ 2,31,58.46 करोड़ (कुल प्राप्तियों ₹ 7,58,80.88 करोड़ का 31 प्रतिशत “लोक ऋण” के अन्तर्गत प्राप्तियों को छोड़कर) का मिलान किया गया। प्राप्तियों और व्यय का पुनर्मिलान नहीं किया जाना लेखाओं की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावित करता है।

विवरण 31 मार्च 2014 की स्थिति में महालेखाकार द्वारा निकाले गए भारतीय रिजर्व बैंक के पास रोकड़ शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष के मध्य ₹ 39.25 करोड़ (नामे) का निवल अंतर था जो आगामी पुनर्मिलान के बाद (अप्रैल 2014) ₹ 49.29 करोड़ (नामे) हो गया। यह अंतर मुख्यतया: एजेन्सी बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेनदेनों की गलत जानकारी देने के कारण है तथा आगे पुनर्मिलान के अधीन है।

विवरण 1/2 आहरण एवं संवितरण अधिकारी सार आकस्मिक देयक तैयार कर सेवा शीर्षों को विकलित कर धनराशि आहरित करने हेतु अधिकृत है जिसके लिए उन्हें आगामी माह की 25 तारीख तक विस्तृत आकस्मिक देयक (डी.सी.बिल) तैयार कर प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य सरकार ने दिनांक 2 सितम्बर 1999 द्वारा आदेश जारी कर, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग से संबंधित राष्ट्रीय क्रेडिट कॉर्प्स (एन.सी.सी.) को छोड़कर, सभी विभागों द्वारा सार आकस्मिक देयकों से राशियों के आहरण को प्रतिबंधित कर दिया है। 31 मार्च 2014 की स्थिति में 599 विस्तृत आकस्मिक देयक राशि ₹ 14.96 करोड़ के लंबित थे। इन 599 लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों में से राशि ₹ 6.41 करोड़ के 481 विस्तृत आकस्मिक देयक कृषि एवं किसान विकास (मृदा संरक्षण) से, ₹ 0.52 करोड़ के 55 विस्तृत आकस्मिक देयक राष्ट्रीय क्रेडिट कॉर्प्स से एवं ₹ 8.03 करोड़ के 63 विस्तृत आकस्मिक देयक तीन अन्य विभागों से संबंधित है। विस्तृत आकस्मिक देयकों का दीर्घकाल तक प्रस्तुत नहीं किया जाना व्यय को अपारदर्शी बनाता है। विवरण नीचे दिया गया है :-

## यस[का ij fVli f.k; k; -जारी

तालिका-1 : बकाया विस्तृत आकस्मिक देयकों की वर्षवार स्थिति

₹ djkM+e

o"z	i kjfEHkd 'ksk		o"z ds nkj ku vkgfjr l kj vkdfLed ns d		; ksx		o"z ds nkj ku i klr foLrr vkdfLed ns d		o"z ds vr ea cdk; k foLrr vkdfLed ns d	
	l a; k	jkf'k	l a; k	jkf'k	l a; k	jkf'k	l a; k	jkf'k	l a; k	jkf'k
2011-12 तक	1339	21.43	8	0.05	1347	21.48	477	1.98	870	19.50
2012-13	870	19.50	300	1.66	1170	21.16	497	5.92	673	15.24
2013-14	673	15.24	255*	1.64	928	16.88	329	1.92	599	14.96

\* 255 सार आकस्मिक देयकों में से 11 देयक, राशि ₹ 1.33 लाख के, मार्च 2014 में आहरित किये गये थे। इन सार आकस्मिक देयकों के संबंध में केवल 6 विस्तृत आकस्मिक देयक राशि ₹ 0.37 लाख के, 25 अप्रैल 2014 (नियत तिथि) तक प्राप्त हुये।

विविध जटिल; l jdkj }kj k Lohdr l gk; rk vuoku ds fo: } cdk; k mi ; kfxrk i ek.k&i = % सशर्त अनुदानों के प्रकरण में संस्वीकृति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय दृष्टिकोण से अनुदानों के उचित उपयोग के बारे में औपचारिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को उस वर्ष जिससे अनुदान संबंधित है के आगामी वर्ष की 30 सितम्बर या उससे पहले मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 182 के अनुसार प्रेषित किये जाने चाहिए। निर्धारित समयावधि के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया रहना निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग की वचनबद्धता के अभाव को दर्शाता है। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति नीचे दी गई है :-

तालिका-2 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की वर्षवार स्थिति

₹ djkM+e

o"z	i kjfEHkd 'ksk		pkyw o"z ds nkj ku ns mi ; kfxrk i ek.ki =		; ksx		o"z ds nkj ku i klr mi ; kfxrk i ek.ki =		o"z ds vr ea cdk; k mi ; kfxrk i ek.ki =	
	l a; k	jkf'k	l a; k	jkf'k	l a; k	jkf'k	l a; k	jkf'k	l a; k	jkf'k
2011-12 तक	36150	18127.79	4551	15020.76	40701	33148.55	296	1730.83	40405	31417.72
2012-13	40405	31417.72	687	3708.83	41092	35126.55	2469	6885.64	38623	28240.91
2013-14	38623	28240.91	428	926.94	39051	29167.85	2637	1795.12	36414	27372.73*

(\*वर्ष 2013-14 के दौरान दिये गये सहायता अनुदान के लिये उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 30 सितम्बर को या इसके पूर्व देय होंगे, सिवाय इसके जहां स्वीकृति आदेश में अन्यथा निर्देश नहीं दिये गये हों)

(vii) fuf/k; ka dk 0; fDrxr tek %i h-Mh-½ [kkra , oa vU; tek [kkra ea vrj.k % मध्यप्रदेश खजाना संहिता के नियम 543 के अनुसार समेकित निधि को नामे कर और व्यक्तिगत जमा लेखाओं को क्रेडिट कर स्थानांतरित की गयी निधियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व समेकित निधि को स्थानांतरित करना चाहिए तथा यदि ऐसी सम्भावना उत्पन्न होती है तो आगामी वर्ष व्यक्तिगत जमा खाता पुनः खोला जा सकता है। दिनांक 31.03.2014 को कोषालय संहिता का उल्लंघन कर खुले रहे, व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति निम्नानुसार है :-

## यस [kka ij fVli f.k; k; – जारी

तालिका-3 : 31 मार्च 2014 को व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

₹ djkm+e

1 vi &y 2013 dks 0; fDrxr tek [kkrs		o"lz ds nkj ku [kksys x; s 0; fDrxr tek [kkrs		o"lz ds nkj ku cn fd, x, 0; fDrxr tek [kkrs		31 epl 2014 dks 0; fDrxr tek [kkrs	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
904	20,63.02	19	94.75	43	18.70	880*	17,84.77

\* 414 व्यक्तिगत जमा खाते राशि ₹ 76.23 करोड़ एक वर्ष से अधिक अवधि से अप्रचलित रहे।

### 3- vl; ena %&

(i) fuofluk ykHkka dk nkf; Ro %& 31 दिसम्बर 2004 को या पहले नियुक्त राज्य सरकारी कर्मचारियों पर वर्ष 2013-14 के दौरान पेंशन एवं अन्य निवृत्ति लाभ पर ₹ 57,54.97 करोड़ व्यय किये गये, इस राशि में अवकाश नगदीकरण लाभ के ₹ 2,94.30 करोड़ शामिल है, जो कुल राजस्व व्यय का 8.24 प्रतिशत है। दिनांक 01.01.2005 को या बाद में नियुक्त किये गये राज्य सरकार कर्मचारियों को नई पेंशन योजना जिसे परिभाषित अंशदान पेंशन योजना नाम दिया गया के अंतर्गत रखा गया है। योजना के अनुसार कर्मचारी के वेतन से उसके मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान तथा इतना ही राज्य सरकार का अंशदान मिलाकर संपूर्ण राशि को एन.एस. डी.एल./ट्रस्टी बैंक के माध्यम से पदासीन निधि प्रबंधन को अंतरित किया जाता है। कर्मचारियों द्वारा अदा की जाने वाली वास्तविक राशि तथा राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाले समान अंशदान का आंकलन नहीं किया गया है।

राज्य सरकार न्यू पेंशन योजना में कर्मचारियों के अंशदान के लिए प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0071-पेंशन एवं अन्य निवृत्ति लाभों के लिए अंशदान एवं वसूलियों के अन्तर्गत बजट प्रावधान एवं प्रविष्टि की विधि अपनाती है। उपरांत में ये अंशदान उक्त मुख्यशीर्ष 0071-के अंतर्गत लघुशीर्ष "900-घटाईये वापसियां" संचालित कर निधि को स्थानांतरित किये जाते हैं। चूंकि वर्ष के अंत में समेकित निधि सरकार के लिए संवरित की जाती है तथा अवशेषों को अग्रेषित नहीं किया जाता है अतएव किसी वर्ष में निधि को प्रेषित अंशदानों में किसी भी प्रकार की कमी बाद के वर्षों के लेखों में उपलब्ध नहीं होती है। वर्ष 2013-14 के दौरान कर्मचारी अंशदान राशि ₹ 1,58.66 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार ने राशि ₹ 1,76.78 करोड़ अंशदान किया। राज्य सरकार द्वारा अनुसरित लेखाकरण कार्य विधि के कारण (उपरिलिखित) यह पूर्वकलन करना संभव नहीं है कि वर्ष 2013-14 में अधिक नियोक्ता अंशदान, पूर्व वर्षों में नियोक्ता अंशदान की कमी के विरुद्ध अथवा अन्य कारण से था।

कुल अंशदान ₹ 3,35.44 करोड़ में से राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 0071-500-अन्य लघु शीर्षों को अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियां के अन्तर्गत मात्र ₹ 3,23.10 करोड़ एन.एल.डी.एल./न्यासी बैंक को स्थानान्तरित किए गए। परिणामतः राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य ₹ 12.24 करोड़ से अधिक हो गया। चूंकि यह राशि निधि में नहीं रही। अतएव यह वर्ष के अंत में शासकीय लेखे को व्यपगत हो गयी। उपार्जित ब्याज सहित असंग्रहित, असमानित तथा अस्थानान्तरित राशियाँ योजना के अंतर्गत बकाया दायित्वों को दर्शाती हैं।

## ys[kka i j fvli f. k; k; –जारी

(ii) jkT; 'kkl u }kj k nh xbl i R; kHkfr; ka %& विवरण पत्रक 9 में प्रतिवेदित प्रत्याभूतियां राज्य शासन से प्राप्त जानकारी पर आधारित है जो राज्य शासन के विभिन्न स्वत्वधारी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि को जारी ऐसी प्रत्याभूतियों के लिए प्राधिकारी है। वर्ष 2013-14 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूतित (मूल + ब्याज) राशि ₹ 2,14,72.12 करोड़ थी। मार्च 2014 के अंत में कुल बकाया प्रत्याभूतियां ₹ 99,77.62 करोड़ थी जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित, पूर्व वर्ष (2012-13) की राजस्व प्राप्ति ₹ 7,04,27.28 करोड़ की 80 प्रतिशत की सीमा में है। वर्ष के दौरान कोई प्रत्याभूति याचित नहीं हुई। वर्ष के दौरान ₹ 2.50 करोड़ प्रत्याभूति शुल्क के रूप में वसूले गये तथा शासकीय लेखे में जमा किये गये।

(iii) \_\_.k rFkk fuo\$ k %& विवरण संख्या 14 एवं 16 में क्रमशः निवेश एवं ऋण का विवरण होता है। कुछ स्वत्वधारी ऋणधारक एवं निवेश धारक दीर्घ अवधि तक प्रचालन मे नहीं है तथा लेखे ऋण एवं निवेश को वसूली के बिना आंकलन के ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शाते हैं। राज्य सरकार द्वारा निवेश एवं ऋण आंकड़ों का, जो वित्त लेखे में दर्शाए गए हैं का मिलान विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुस्तकों में उपलब्ध आंकड़ों से किया जाना चाहिए।

(iv) 'kh"kl ^/kukn\$ k , oa n\$ d^ ds vlr xr cdk; k 'k\$ k %& मुख्यशीर्ष 8670 “धनादेश एवं देयक” के अन्तर्गत जमा शेष यह दर्शाता है कि, धनादेश जारी किए गए जो दिनांक 31.03.2014 को बिना भुनाए गए रहे। वर्ष 2012-13 के अंत में अंतशेष ₹ 27.27 करोड़ (जमा) था। दिनांक 31 मार्च 2014 तक ₹ 27,54,43.77 करोड़ मूल्य के धनादेश जारी किए गए जिसके विरुद्ध ₹ 27,53,87.08 करोड़ के धनादेशों का नगदीकरण होकर ₹ 56.69 करोड़ (जमा) का अंतशेष रहा। राज्य सरकार का नगद शेष अंतशेष की सीमा तक बढ़ा है।

### (v) vkj f{kr fuf/k; ka %&

%d½ l efd r fu{ki fuf/k % -fu-fu-½ %& बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि, राज्यों को ऋणों के परिशोधन हेतु समेकित निक्षेप निधि स्थापित करना चाहिये। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को उनके पिछले वर्ष के अंत में बकाया दायित्वों (आंतरिक ऋण + लोक लेखा के दायित्व) का 0.5 प्रतिशत समेकित निक्षेप निधि में अंशदान करना चाहिए। 31 मार्च 2014 को मध्यप्रदेश सरकार के बकाया दायित्व ₹ 9,68,25.85 करोड़ थे। तथापि जैसा वांछित था, राज्य सरकार द्वारा समेकित निक्षेप निधि गठित नहीं की गई है।

%[k½ i R; kHkfr foekpu fuf/k % ffo-fu-½ %& राज्य सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2006 में प्रत्याभूति विमोचन निधि स्थापित की। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निधि में ₹ 1.00 करोड़ का अंशदान किया गया। 31 मार्च 2014 को ₹ 99,77.62 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियों के विरुद्ध निधि में ₹ 3,89.87 करोड़ शेष थे। निधि का सम्पूर्ण शेष ₹ 3,89.87 करोड़ केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेशित किया गया।

## ys[kka ij fVli f.k; k; –जारी

वित्त विभाग, म.प्र.शासन द्वारा दिनांक 27.01.2006 को राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार निधि में, प्रत्येक वर्ष अंशदान विगत वर्ष में वसूल किया गया, प्रत्याभूति शुल्क होगा एवं राज्य सरकार द्वारा समरूप अंशदान उक्त प्रत्याभूति शुल्क के बराबर होगा। पिछले वर्ष प्रत्याभूति शुल्क ₹ 4.81 करोड़ वसूल किया गया था। अतः राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में, निधि में, ₹ 9.62 करोड़ का अंशदान करना था परन्तु निधि में मात्र ₹ 1.00 करोड़ का अंशदान किया गया। परिणामस्वरूप राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य ₹ 8.62 करोड़ से बढ़ गया।

½ jkT; vkin k ekpu fuf/k %& तेहरवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में राज्य आपदा मोचन निधि का प्रचालन प्रारंभ किया गया। दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निधि में 75 : 25 के अनुपात में अंशदान किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में निधि में ₹ 4,54.66 करोड़ (₹ 3,41.00 करोड़ केन्द्रांश एवं ₹ 1,13.66 करोड़ राज्यांश) अंतरित किए गए।

दिशानिर्देशों के अनुसार, गम्भीर आपदा के प्रकरण में, जहाँ राज्य आपदा विमोचन निधि में आवश्यकता से कम शेष हो, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा विमोचन निधि से तत्काल राहत उपलब्ध करा सकती है। वर्ष 2013-14 में, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को ₹ 5,02.59 करोड़ की अतिरिक्त सहायता जारी की गयी। इसमें से राज्य आपदा विमोचन निधि को मात्र ₹ 34.94 लाख अंतरित किए गए। परिणामतः केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा निधि को जारी करने एवं उपयोग करने में दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप राज्य का राजस्व आधिक्य भी अधिक हो गया एवं राजकोषीय घाटा ₹ 4,67.65 करोड़ से कम हो गया।

(vi) mpar , oa i k.k 'k'k %& वित्त लेखा उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को प्रतिबिंबित करता है। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बकाया नामे एवं जमा शेषों को पृथक-पृथक जोड़कर निकाले गए हैं। मुख्य उचंत शीर्षों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की सकल राशियों की स्थिति परिशिष्ट I-च में दी गयी है।

इन शीर्षों के अन्तर्गत लंबित शेषों का निपटान नहीं होना, संबंधित सरकारों की प्राप्ति/व्यय तथा विभिन्न शीर्षों (जो वर्ष दर वर्ष अग्रेषित किये जाते हैं) के शेषों को प्रभावित करते हैं।

(vii) l jdkjh ys[kka l s i fkd j[kh tkus okyh jkf'k; ka %& राज्य सरकार, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (राज्यांश) तथा राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों और अभिकरणों, समितियों, अशासकीय संगठनों इत्यादि को निधियां प्रदान करती है। चूंकि क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में निधियों को पूर्ण रूप से खर्च नहीं किया जाता है अतः इन क्रियान्वयन एजेंसियों के बैंक खाते में अव्ययित शेष रह जाता है। क्रियान्वयन एजेंसियों के खातों की अव्ययित कुल राशि जो कि सरकारी लेखों से पृथक (बैंक खातों में) रखी जाती है, सहज अभिनिश्चित नहीं होती है। इसलिये उस सीमा तक लेखों में दर्शाया गया सरकारी व्यय अंतिम नहीं होता है।

## ys[kka ij fVli f. k; k; –जारी

(viii) fofHkUu cgn- vk; kstukxr ; kstukvka ds dk; kUo; u grq dlnk k vkj vuq i jkT; k k dks foeDr djuk %& प्रमुख आयोजनागत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश के रूप में प्राप्त राशि एवं राज्य सरकार द्वारा विमुक्त की गई राशि के मध्य ₹ 2,77.05 करोड़ की कमी थी। परिणामतः राजस्व आधिक्य ₹ 2,27.05 करोड़ से बढ़ गया। विस्तृत ब्यौरा विवरण संख्या 12 के परिशिष्ट में दिया गया है।

(ix) ifrdly 'k'k :- वन विभाग द्वारा ₹ 37.49 करोड़ का पूर्व वर्षों में (2012-13 तक) एवं ₹ 5.95 करोड़ (प्राप्तियां ₹ 27.22 करोड़ एवं भुगतान ₹ 33.17 करोड़ का निवल) का वर्ष 2013-14 के दौरान गलत वर्गीकरण करने के कारण मुख्यशीर्ष 8443-109 वन जमा के अन्तर्गत ₹ 43.44 करोड़ का ऋणात्मक शेष परिलक्षित हो रहा है। म.प्र.पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत शेषों का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन न होने के कारण अनेक ऋण शीर्षों के अन्तर्गत ऋणात्मक शेष भी अभिलिखित थे।

(x) vkdfLedrk fuf/k %& मध्यप्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹ 200 करोड़ का संग्रह है। वित्तीय वर्ष के अंत में आकस्मिकता निधि को प्रतिपूर्ति के लिये कोई राशि शेष नहीं थी।

(xi) e/; i n'k jkt dks'kh; mUkjnkf; Ro , oa ctV i d'ku %e-i zj k-m-c-i z/ vf/kfu; e] 2005 ds varxr i dVhdj .k %& मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत अपेक्षित है कि, राज्य सरकार वार्षिक बजट पेश करते समय तीन विवरणों में प्रकटीकरण करें अर्थात् (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण (ग) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण। बजट वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार द्वारा सभी विवरणों का प्रकटीकरण किया गया।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर जनवरी 2012 में, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005, में संशोधन किया गया। अधिनियम में दिये गए लक्ष्य और वर्ष 2013-14 में निष्पादन जैसा कि लेखों में प्रदर्शित है नीचे दर्शाया गया है।

rkfydk 4 %e-i zj k-m-c-i zvf/kfu; e@fu; e ds vuq i jkt dks'kh; y{; rFk mi yfC/k; k;

क्षेत्र	लक्ष्य	निष्पादन
राजस्व घाटा	शून्य	लेखाओं के अनुसार वर्ष 2013-14 में राजस्व आधिक्य ₹ 58,79.48 करोड़ है।
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं	लेखाओं के अनुसार वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा ₹ 98,81.29 करोड़ रहा जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 2.19 प्रतिशत है।
बकाया ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) का 36 प्रतिशत	31 मार्च 2014 को बकाया ऋण ₹ 9,68,25.85 करोड़ था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 21.47 प्रतिशत है।

\* आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वर्ष 2013-14 के लिये अग्रिम अनुमान ₹ 45,09,00.39 करोड़ दिया है।

(xii) ifrc) nkf; Ro %& लेखे तब तक अपूर्ण हैं जब तक प्रतिबद्ध दायित्वों से संबंधित आंकड़े भी प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। चूंकि राज्य सरकार द्वारा यह जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है, अतः वित्त लेखे 2013-14 में प्रतिबद्ध दायित्वों पर परिशिष्ट शामिल नहीं किया गया है।

ys[kkə ij fVlif.k; k; - जारी  
ifjf'k"V I&d  
॥ nHkz % dMdk 1 dh mi dMdk ॥ १/२  
vkof/kd@vll; I ek; kst u dk foofj.k i =d

(₹ करोड़ में)

I - dž	vkof/kd I ek; kst u	ys[kk 'kh"ki		jlf.k	vH; fDr
		I :	dk		
1	म.प्र.ग्रामीण विकास निधि का आवर्धन	2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण	8229-विकास एवं कल्याण निधि	84.72	पूर्व वर्ष के दौरान संग्रहीत उपकर को निधि में अंतरित किया गया।
2	पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा मुद्रांक शुल्क निधि का आवर्धन	2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण	8229-विकास एवं कल्याण निधि	4,01.12	पूर्व वर्ष के दौरान संग्रहीत उपकर तथा स्टाम्प शुल्क को निधि में अंतरित किया गया।
3	शासकीय मुद्रणालयों के मूल्य ह्रास की राशि का मूल्य ह्रास निधि को अंतरण	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	8226-मूल्य ह्रास/ नवीनीकरण आरक्षित निधि	0.20	राज्य शासन से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि अंतरित की गई।
4	राज्य आपदा विमोचन निधि का आवर्धन	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	4,89.60	राज्य शासन से प्राप्त संस्वीकृतियों के अनुसार भारत शासन से प्राप्त सहायता अनुदान एवं राज्य शासन का हिस्सा अंतरित किया गया।
5	प्रत्याभूति विमोचन निधि का आवर्धन	2075-विविध सामान्य सेवाएं	8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	1.00	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
6	खदान कल्याण निधि का आवर्धन	2853-अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	8229-विकास एवं कल्याण निधि	5,91.34	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
7	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत खर्च में कमी करने के लिए	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	4,89.60	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
8	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	8229-विकास एवं कल्याण निधि	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,53.34	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
9	वन विकास निधि का आवर्धन	2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	8229-विकास एवं कल्याण निधि	43.76	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
10	सा.भ.नि. पर ब्याज का समायोजन	2049-ब्याज अदायगियां	8009-राज्य भविष्य निधि	8,36.86	सा.भ.नि. पर ब्याज का वार्षिक समायोजन
11	मध्य भारत जीवन बीमा निधि पर ब्याज का समायोजन	2049-ब्याज अदायगियां	8011-बीमा एवं पेंशन निधियां	2.79	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि अंतरित
12	कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003	2049-ब्याज अदायगियां	8011-बीमा एवं पेंशन निधियां	71.16	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि अंतरित
13	शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985	2049-ब्याज अदायगियां	8011-बीमा एवं पेंशन निधियां	1,40.59	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि अंतरित
14	शासकीय कर्मचारी परिवार कल्याण निधि पर ब्याज का समायोजन	2049-ब्याज अदायगियां	8342-अन्य जमा	33.55	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि अंतरित
15	अकाल राहत निधि का आवर्धन	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8223-अकाल राहत निधि	0.10	राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर राशि का अंतरण किया गया।
16	अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन	2049-ब्याज अदायगियां	8009-राज्य भविष्य निधियां	6.39	अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज का वार्षिक समायोजन

यस [kka i j fVli f.k; ka & जारी  
i f j f' k"V I&d&समाप्त

(₹ करोड़ में)

I - dz	vU; I ek; kstu	ys [kk ' kh" kZ		j kf•k	vH; qDr
		l s	dkS		
1	व्यक्तिगत जमा लेखा को अंतरण (10 करोड़ से कम)	-	8443-सिविल जमा 106-व्यक्तिगत जमा	24.66	-
			; kX	<b>24.66</b>	
2	अन्य जमा को अंतरण	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा	12.24	समायोजन मुख्यतः पर्यटन अधोसंरचना के निर्माण (केन्द्रांश) से संबंधित है।
3	अन्य जमा को अंतरण (दस करोड़ से कम)	-	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा	--	-
			; kX	<b>12.24</b>	



ys[kka ij fVli f.k; ka & जारी  
vuyXud I&[k

¼ anHkZ % dñMdk 2 dh mi & dñMdk ¼ ¼

i wthxv vuqkx ds vxv ^l dkkj.k ds =qvi wkZ oxhdj.k dk fooj.k i=d

¼ djkM+e

I-Ø-	ekx l a[; k	e[; 'kh"Z	ctV i ko/kku	0; ;
1.	23	4701-80-800-0101-8808 - सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	0.45	0.20
2.	26	4202-04-800-0101-7073 - मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद को विकास अनुदान	0.15	0.15
3.	30	4515-800-0101-7252 - तालाबों का उन्नयन	1.00	0.50
4.	48	4700-43-001-0101-8808 - सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	0.08	0.05
5.	48	4700-51-001-0101-8191 - कार्यपालिक स्थापना (इकाई-II)	0.01	निरंक
6.	48	4801-01-206-0101-4654 - स्थापना (वन प्रकोष्ठ)	0.01	0.01
7.	48	4801-80-800-0101-4406 - सरदार सरोवर के डूबान से प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च	0.21	0.14
8.	48	4801-80-800-0101-8808 - सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	0.10	0.08
9.	57	4700-01-800-1201-6258 - बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना	0.05	निरंक
10.	57	4700-64-800-1201-6822 - जल संसाधन प्रबंधन - संस्थान एवं साधन - स्वारा	0.01	निरंक
11.	57	4700-64-800-1201-6823 - जल संसाधन प्रबंधन - संस्थान एवं साधन - स्वारडेक	0.01	निरंक
12.	57	4700-64-800-1201-6825 - जल संसाधन प्रबंधन - संस्थान एवं साधन - स्वारटैक	0.15	निरंक
13.	57	4700-64-800-1201-6827 - पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - कृषि विभाग	0.01	0.01
14.	57	4700-64-800-1201-6831 - पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - जल संसाधन विभाग	5.50	4.50
15.	57	4700-64-800-1201-6833 - परियोजना क्रियान्वयन समन्वयक इकाई - पाईकू	0.15	0.15
		; ksx	7.89	5.79

ys[kka i j fVli f.k; ka & जारी  
vugyXud I&x

¼ nHkZ % dMdk 2 dh mi dMdk ¼¼

i wthxr vuHkkx ds vUrxr ^l gk; rk vupku^ ds =fVi wkZ oxhZdj.k dk fooj.k i =d

¼ djKM+e

l - Ø-	ekx l a[; k	eq[; 'kh"KZ	ctV i ko/kku	0; ;
1.	11	4875 – अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.50	0.50
2.	14	4403 – पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.40	0.35
3.	20	4215 – जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	सांकेतिक	--
4.	26	4202 – शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	सांकेतिक	1.00
5.	30	4515 – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	79.00	23.70
6.	44	4202 – शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1.00	--
7.	57	4700 – वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	21.65	11.09
8.	69	5425 – अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरिणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	2.00	2.00
9.	73	4210 – चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	0.75	0.75
		; kx	<b>1,05.30</b>	<b>39.39</b>

ys[kka ij fVli f.k; k&जारी  
vuyXud I&?k

¼/ nHkZ % dMdk 2 dh mi dMdk ¼/½

y?kq 'kh"KZ 800 & ^vU; i kflr; kq^ ds varxR ntZ eq; 'kh"Kbkj i kflr; ka dk foj.k i =d  
(₹ करोड़ में)

eq; 'kh"KZ		eq; 'kh"KZ ds varxR dq i kflr; kq	y?kq 'kh"KZ 800 & ^vU; i kflr; kq^ ds varxR i kflr; kq	ifr'kr
0852	उद्योग	49.21	49.21	100
0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	23\$6.17	23\$6.17	100
0801	बिजली	3\$78.66	3\$78.66	100
0702	लघु सिंचाई	2\$9.37	2\$9.37	100
0220	सूचना एवं प्रचार	0.11	0.11	100
0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	22.25	22.25	100
0035	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	6\$6.95	6,66.95	100
0047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.04	0.04	100
0404	डेरी विकास	0.01	0.01	100
0211	परिवार कल्याण	0.16	0.16	100
0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	20\$8.49	20\$5.20	100
0408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार	1.83	1.83	100
0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	8.23	8.18	99
0059	लोक निर्माण कार्य	46.92	46.01	98
0403	पशुपालन	4.90	4.62	94
0217	शहरी विकास	35.72	32.85	92
0700	मुख्य सिंचाई	27.12	21.62	80
0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	3.41	2.54	74
0075	विविध सामान्य सेवाएं	33.69	23.66	70
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	59\$7.39	40\$71.64	69
0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	6.05	4.08	67
0210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	57.76	37.69	65
0029	भू-राजस्व	3\$6.23	2\$37.89	65
0055	पुलिस	71.92	43.47	60
0056	जेल	3.53	2.04	58
0215	जलपूर्ति तथा सफाई	10.33	5.24	51
		<b>1,22,36.45</b>	<b>1,01,91.49</b>	

ys[kka i j fVli f.k; ka & जारी  
vuyXud I&³

¼/ nHkZ % dMdk 2 dh mi dMdk ¼/¼/2  
y?kq 'kh"kl 800 & ^vU; 0; ; ^ ds vUrxr ntZ eq; ; 'kh"kbkj 0; ; dk foofj.k i=d

(₹ करोड़ में)

eq; ; 'kh"kl	eq; ; 'kh"kl ds vUrxr dy 0; ;	y?kq 'kh"kl 800 & ^vU; 0; ; ^ ds vUrxr 0; ;	ifr'kr	
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	90.34	90.34	100
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.65	3.65	100
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	23.35	23.35	100
4853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.37	1.37	100
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.25	100
2852	उद्योग	2\$70.55	2\$8.45	96
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	6\$86.47	6\$32.16	92
2702	लघु सिंचाई	1\$20.08	1\$8.60	90
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (ओंकारेश्वर परियोजना तथा नहर उद्वहन इत्यादि)	25\$6.48	22\$80.53	89
2075	विविध सामान्य सेवायें	12.82	11.42	89
2204	खेलकूद तथा युवा कल्याण सेवाएं	1\$4.32	71.22	53
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान इत्यादि)	7\$2.69	3,95.73	56
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	1\$12.09	73.25	65
2853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	9\$1.36	5\$91.34	65
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	23\$01.40	14\$56.12	63
2705	कमान क्षेत्र विकास	3.71	2.16	58
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.78	3.77	56
2205	कला एवं संस्कृति	1\$6.29	72.07	53
	; ksx	<b>80,74.00</b>	<b>60,75.78</b>	

यसका विवरण: समाप्त  
वृत्त I&p

॥ अर्थ मन्त्रालयको कार्यालयबाट ३०/०५/२०१४  
॥ मन्त्रालयको कार्यालयबाट ३०/०५/२०१४

रुपैयाँमा

मुख्य/लघु शीर्ष	2011-12		2012-13		2013-14	
	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे
8658- उचंत लेखा						
101- वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	(-) 3.30	45.14	(-) 1.92	71.17	(-) 3.31	70.72
fuoy	ukes 48.44		ukes 73.09		ukes 74.03	
102- उचंत लेखा (सिविल)	(-) 0.61	7.73	(-) 0.80	0.81	(-) 0.59	0.93
fuoy	ukes 8.34		ukes 1.61		ukes 1.52	
107- नकद परिनिर्धारण उचंत लेखा	(-) 27.57	1,14.95	(-) 26.58	1,15.05	(-) 26.58	1,15.05
fuoy	ukes 1,42.52		ukes 1,41.63		ukes 1,41.63	
110- रिजर्व बैंक उचंत - केन्द्रीय लेखा कार्यालय	(-) 3.51	75.20	(-) 6.01	1,21.37	(-) 5.96	1,56.01
fuoy	ukes 78.71		ukes 1,27.38		ukes 1,61.97	
112- स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	1,67.93	--	1,99.10	--	2,42.81	--
fuoy	tek 1,67.93		tek 1,99.10		tek 2,42.81	
113- भविष्य निधि उचंत	(-) 0.82	21.26	(-) 0.82	17.34	(-) 0.82	19.80
fuoy	ukes 22.08		ukes 18.16		tek 20.62	
129- सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखे	2,55.20	35.73	2,55.20	35.77	2,55.20	35.90
fuoy	tek 2,19.47		tek 2,19.43		tek 2,19.30	
8782-नकद प्रेषण -						
102- लोक निर्माण प्रेषण	4,44,84.40	4,34,61.64	5,59,81.81	5,45,46.61	6,83,78.51	6,66,21.55
fuoy	tek 10,22.76		tek 14,35.20		tek 17,56.96	
103- वन प्रेषण	84,77.97	84,29.26	1,06,46.95	1,05,76.82	1,31,74.07	1,30,66.49
fuoy	tek 48.71		tek 70.13		tek 1,07.58	
110- विविध प्रेषण	38,68.48	40,64.53	52,80.16	55,40.66	58,95.55	62,18.84
fuoy	ukes 1,96.05		ukes 2,60.50		ukes 3,23.29	